भाग-III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 अप्रैल, 2026

संख्या सा०का०नि० 5/संवि०/अनु० 309/2026.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप—ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप—ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप—ग) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 8 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

3	4
"(i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित) सहित 10+2; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रौद्योगिकी (ऑपरेशन थिएटर/एनेस्थीशिया) सहित विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.); तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;	**पदोन्नति द्वारा:—** (i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित) सहित 10+2; तथा (ii) किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्था में ऑपरेशन थिएटर में ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—** (i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित) सहित 10+2; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रौद्योगिकी (ऑपरेशन थिएटर/एनेस्थीशिया) सहित विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.); (iii) ऑपरेशन थिएटर सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;";

डा० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 17th April, 2026

No. G.S.R. 5/Const./Art. 309/2026.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department, Para-Medical and Miscellaneous, Posts (State Group 'C') Service Rules, 1998, namely :-

1. (1) These rules may be called the Haryana Health Department, Para-Medical and Miscellaneous, Posts (State Group 'C') Service (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Health Department, Para-Medical and Miscellaneous, Posts (State Group 'C') Service Rules, 1998, in appendix B, against serial number 8, under columns 3 and 4, for the existing items, the following items shall be substituted, namely :--

3	4
"(i) 10+2 with Science (Physics, Chemistry and Biology or Physics, Chemistry and Mathematics); (i) Bachelor of Science, (B.Sc.) in Medical Technology (Operation Theatre/ Anesthesia) from recognized institute/ university; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the Subject in Higher education.	**By Promotion-** (i) 10+2 with Science (Physics, Chemistry and Biology or Physics, Chemistry and Mathematics); and (ii) Experience of 5 years as Group-D employee in Operation Theatre of any Government health institution ; **By transfer or deputation-** (i) 10+2 with Science (Physics, Chemistry and Biology or Physics, Chemistry and Mathematics); (ii) Bachelor of Science, (B.Sc.) in Medical Technology (Operation Theatre/ Anesthesia) from recognized institute/ university; (iii) Two years' experience as Operation Theatre Assistant ; and (iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the Subject in Higher education.".

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

12519—C.S.—H.G.P., Pkl.